न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 61/2024
दायर दिनांक : 10/12/2024
निर्णय दिनांक : 24/11/2025

उनवान

1. गोपीलाल पुत्र रूपा जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. चम्पालाल पुत्र गणेश जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
3. चान्दमल पुत्र गणेश जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
4. डालु पुत्र रूपा जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
5. परसराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
6. ललाराम पुत्र गणेश जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. बाबू लाल पिता खुराज जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. बातू पिता बाबू लाल जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
3. रमेश पिता बाबू लाल जाति जटिया निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ

संक्षिप्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री सैयद फिरोज अली अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उन्नवान का वादपत्र आप न्यायालय में पेश है। वाके मौजा धन्ना की भागल पटवार हल्का कानरखेडा तहसील भूपलासागर के हल्के बैरूनी में आरजी नम्बर 579 रकबा 0.39 है. स्थित है जो प्रार्थीगण व प्रतिवादी न 4 डाली प्रतिवादी नं. 5 बदामी, प्रतिवादी नं. 6 राधी के नाम चालु जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी मं अंकित है प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं. 4,5,6 सभी संयुक्त काश्त करते है। अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण के जाति के होने से हम प्रार्थीगण से दुश्मनी रखते है इसलिये अकारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन दाजी करने पर आमादा है दिनांक 01.10.2024 को भी अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर लगी बाड को हटाने की कोशिस की व विवादित आराजियात मं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलनदाजी की प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को बडी मुश्किल से रोका इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है नही तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसे रूपयों में आंका नही जा सकेगा व प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसे रूपयों में पुरा नहीं किया जा सकेगा। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 01.10.2024 से पैदा होता है उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है विवादित आराजी अदालत क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से अदालत आपको यह प्रार्थनापत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थनापत्र निर्धारित कोर्ट फिस पर सम्मन प्रोसेस के साथ प्रस्तुत है। वादीगण का प्रार्थनापत्र तथा प्रतिवादी नं. 4,5,6 के तथा विरूद्व अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस अमर का जरी फरमाया जावें कि वाके मौजा धन्ना की भागल पटवार हल्का कानरखेडा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी की आराजी नम्बर 579 रकबा 0.39है. के प्रार्थीगण व प्रतिवादी न 4,5,6 के संयुक्त उपयोग व संयुक्त कब्जे काश्त में दखलनदाजी नही करें तथा विवादित आरजी पर नाजायज कब्जा नही करें तथा अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेन्टस से भी ऐसा नही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से 1, 2, 3 की और से वकील श्री पवन जायसवाल ने अधिकारी पत्र एव जवाब दिनांक 24.11.2025 को प्रस्तुत किया जवाब में अंकित किया कि [illegible] ने उक्त [illegible] का वाद पत्र न्यायालय मे पेश किया जो मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से आवश्[illegible] [illegible]ारिज होगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 आंशिक स्वीकार है शेष ईबारत [illegible] होने [illegible] नहीं। प्रार्थीगण संख्या 4,5,6 का विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा [illegible] विवादित आराजीयात को अप्रार्थी के पितामह स्व0 किशना के द्वारा साबिक आराजी [illegible] 266 के [illegible] आराजी नं 579 को [illegible]णा रतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:51 IST
Reason: Self Attested

सिंह से खरीद किया था तब से ही विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण काश्त करते चहे आ रहे है तथा उपयोग उपभोग भी अप्रार्थीगण बिनाा रोक टोक आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण के बाप दादाओ के समय से ही कब्जा नही रहा है विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे राजराणा रतनसिंह जी ठिकाना ताणा के हस्ताक्षर व मोहर से अप्रार्थी के पितामह किशना जी के नाम दर्ज करने का पट्टा जारी किया हुआ है जो पट्टे मे लिखे तथ्य इस प्रकार है राजराणा रतनसिंह जी ठिकाना ताणा वचनासु चमार कसना बल्द गोकल निवासी ताणा हस्ते खेत नंग एक ग्राम धन्ना री भागल में आराजी नं 268 बिघा 2 लगानी रूपया 2 बापी करानी जीरा नजराणा का रूपया 31 अक्षरे इक्तीस सीके बाजार चलन का लीदा सो जईग्या थने बापी कर दी सो थारी बेची वकेगा इ जइग्या रो हासल भोग बराबर जमा करातो रहेगा जमीन थारे खाते रहेगा व जमीन खाता नम्बर 368 पर दर्ज है 2005 माह विद 12 कीसन लाल चण्डालिया श्री रावला हुकम सु रजराण रूपिया 31 रोकड जमा रावला हुकम सु हस्ताक्षर किशन लाल का उक्त रावले पट्टे से आराजीयात अप्रार्थी बाबु लाल के पितामह स्व0 किश्ना जी को राजराणा रतन सिंह जी ने सम्वत 2005 मे 31 रूपये मे विकय कर दी थी तथा रावले से पट्टा जारी होकर मोहर लगी हुई है। खरीद वर्ष काश्त होकर वर्तमान मे भी अप्रार्थीगण ही फसल काश्त बिना रोक टोक करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण ही अनवरत रूप से करते चले आ रहे है जिस कारण अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाना कतई न्यायोचित नही है। अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो अप्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसका भरपाया मुल्यो में नही किया जा सकता है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानी नही होगी।

वकील अप्रार्थी ने उक्त जवाब के साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया,जिसकी वकील प्रार्थी को दी गयी वकील प्रार्थी ने काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्षा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान कर वाद ग्रस्त भुमी पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का भी अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है उभयपक्ष मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति कायम रखेगें। निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:51 IST
Reason: SelfAttested